तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पालना को [signature] 28/6/18	
28.06.18	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार खण्डेला से प्रकरण में प्राप्त जवाब दिनांकित 15-06-2018 को अभिलेख पर लिया जाता है। मुताबिक तहसीलदार खण्डेला रिपोर्ट हस्तगत प्रा० पत्र टी० आई० में अन्य ख०नम्बरों के साथ ख० नं० 1178/3 तन ग्राम बावड़ी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने बाबत स्थगन आदेश पारित है। ख०नं० 1178/3 की खातेदारी प्रार्थीगण व अन्यो की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। ख०नं० 1178/3 रकबा 0.03 है० किस्म गै० मु० रास्ता दर्ज है। ख०नं० 1178/3 का मूल ख०नं० 1178 था जिसमें राजस्थान सरकार के रास्ता सम्बन्धी परिपत्र प.3(2) राज-6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में रास्ता प्रचलित होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के आदेश से प्रचलित रास्ता दर्ज कर 1178 के नये ख०नं० 1178/1 रकबा 0.05 किस्म गै० मु० रास्ता, 1178/2 रकबा 0.58 किस्म बारानी 3, 1178/3 रकबा 0.03 किस्म गै० मु० रास्ता, ख० नं० 1178/4 रकबा 1.66 किस्म बारानी 3, चार नये ख०नं० अभिलेख में आये है। ख०नं० 1178/3 में रास्ता अवरूद्ध करने की शिकायत प्राप्त होने पर न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के समक्ष मु० सं० 03/2018 उनवान बीरबल वगैरह बनाम बंशी वगै० अन्तर्गत धारा 251 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 में दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 31-05-2018 को रास्ता खुलवाने का निर्णय पारित किया गया है।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

ख.नं. 1178/3 रास्ता पूर्व में प्रचलित था जिसे प्रार्थीगण ने बाड़ी लगाकर व काश्त कर अवरुद्ध कर दिया है।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31-05-2018 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर, सीकर के समक्ष प्रस्तुत अपील सं. 64/2018 में स्थगन प्रार्थना पत्र को दिनांक 25-06-2018 को ख.नं. 1178/3 मे पूर्व से प्रचलित रास्ता होने के बिन्दु पर माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर, सीकर द्वारा खारिज किया जा चुका है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रचलित रास्ते के तथ्य को छुपाते हुए बाला-बाला एक-पक्षीय स्थगनादेश प्राप्त किया है। ख.नं. 1178/3 मौ.मु. रास्ता प्रचलित रास्ता होने पर राज्य सरकार के रास्ता संबंधि समस्याओं के निराकरण हेतु जारी परिपत्र की अनुपालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के आदेश द्वारा रास्ता दर्ज हुआ है तथा दावागत प्रा.पत्र में अंकित प्रार्थीगण ने न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश की आड में उक्त पूर्व से प्रचलित एवं कदीमशुदा रास्ता को अवरुद्ध कर दिया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं पाये जाने पर स्थगनादेश दिनांकित 29-05-2018 को अपास्त करते हुए प्रार्थना-पत्र टी० आई. खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व ता… अहकाम जो … हुक्म की ता… में जारी हु…
	नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 28/6/18	